न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या मुतफरिक 21/2016 (प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती जेतु कंवर पत्नी स्व. श्री उम्मेद सिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री रामसिंह पिता स्व. श्री उम्मेदसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री चन्दनसिंह पिता स्व. श्री उम्मेदसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी स्व. श्री भंवरसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री भूरसिंह पिता स्व. श्री भंवरसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती प्रताप कुंवर पत्नी स्वं. श्री प्रेमसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री निर्भयसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री मनोहरसिंह सिंह पिता स्वं श्री प्रेमसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
9. श्रीमती गंगा कुंवर पत्नी स्व. श्री औनारसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री रूपसिंह पिता स्व. श्री औनारसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री खुमाणसिंह पिता स्व. श्री औनारसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री शम्भूसिंह पिता स्व. श्री औनारसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
13. श्रीमती धुली कुंवर पत्नी स्व. श्री चतरसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

14. श्री अभयसिंह पिता स्व. श्री चतरसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
15. श्री हिम्मतसिंह पिता स्व. श्री चतरसिंह देवड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
16. श्री सोहनसिंह पिता स्व. श्री चतरसिंह देवबड़ा निवासी सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

श्री रामनिवास मेहता, सचिव नगर विकास प्रन्यास नगर विकास प्रन्यास कार्यालय उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

मुत0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम–2 (ए)
एवं धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता विरूद्ध आदेश
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
निर्णय दिनांक दिनांक 5–8–2015 प्रकरण संख्या 15/13

उपस्थित :–1– श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

——————/——————

आदेश **दिनांक 20–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि याची द्वारा यह अवमानना याचिका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम–2 (ए) एवं धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता विरूद्ध आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के पेश कर विपक्षी श्री रामनिवास मेहता सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 15/13 में दिनांक 26–6–2013 को जारी मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति आदेश की उल्लंघना कर दिनांक 2–6–2015 को मौके पर चार–दीवारी तोड़ कर घुसने के प्रयास करने का कथन करते हुए अवमानना मानकर क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने एवं 6 माह के सिविल कारावास दिये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में विपक्षी की और से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर इस प्रकार की कोई अवमानना नहीं किये जाने का कथन किया।

प्रकरण में चायी द्वारा अवमानना प्रमाणित किये जाने के लिए श्री भूरसिंह को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया एवं इसके अलावा कोई स्वतन्त्र साक्ष्य पेश नहीं किया तथा कोई दस्तावेज भी पेश शुदा गवाह याची ने प्रदर्श नहीं करवाया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अवमानना सिद्ध कराये जाने के लिए याची को साक्ष्य से अवमानना तथ्यों को प्रमाणित करवाना था, परन्तु प्रकरण में याची द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श नहीं करवाया गया है। याची द्वारा कोई स्वतन्त्र मौखिक साक्ष्य सिवाय स्वयं के पेश नहीं किये है। याची स्वयं भी अपने बयानों के जिरह में यह कहता है कि पेश शुदा फोटो में रामनिवास मेहता नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि याची द्वारा आवेदन वर्णित न्यायालय आदेशों की अवहेलना किये जाने के लिए कोई वांछित साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। अतः यह अवमानना याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20—02—2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर